मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 22 फरवरी, 2012 (फाल्गुन 3, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वश्री जयकरण साकेत एवं बाबूलाल पाटौदी, पूर्व सदस्यगण विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये। सर्वश्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री तथा गिरीश गौतम, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर, दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की गई। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.37 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 10.44 बजे पुन : समवेत हुई।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य की गिरफ्तारी सम्बन्धी विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा की मांग विषयक

श्री आरिफ अकील एवं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य की गिरफ्तारी एवं इस सम्बन्ध में विपक्ष के सदस्यगण द्वारा दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर आसंदी से तत्काल चर्चा की मांग की गई। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मत व्यक्त किया गया कि यह प्रकरण न्याय निर्णयाधीन होने के कारण सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकाल के अलावा, किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं देने की व्यवस्था दी गई।

सदन में अत्यधिक व्यवधान के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्वाह्न 10.57 बजे15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की गई। पूर्वाह्न 11.13 बजे कार्यवाही पुन: समवेत हुई किन्तु व्यवधान के कारण, पूर्वाह्न 11.15 बजे कार्यवाही स्थगित की जाकर 11.32 बजे पुन: समवेत हुई।

3. प्रश्नोत्तर

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकाल में प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम पुकारा गया, किन्तु व्यवधान के कारण सदस्यों द्वारा आज तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 63 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 76 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर में गैस पीड़ितों द्वारा प्रदर्शन करने,
(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के रोजगार कार्यालय में पंजीयन न होने,
(3) डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की प्रदेश के कई जिलों में पाले से फसलें बर्बाद होने,
(4) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की प्रदेश में ड्रग ट्रायल्स में मारे गये लोगों को मुआवजा न मिलने,
(5) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल शहर के एम.पी. नगर क्षेत्र में अतिक्रमण होने,
(6) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के सरदारपुर में हैण्डपंपों का खनन न होने,
(7) श्री परसराम मुद्गल, सदस्य की मुरैना जिले की अनुसूचित जाति बहुल बस्ती में विद्युत न होने,
(8) श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य की सिवनी जिले के लखनादौन क्षेत्र की शालाओं का उन्नयन न करने,
(9) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य की मुरैना जिले के सबलगढ़ स्थित रेस्ट हाउस भवन के क्षतिग्रस्त होने एवं
(10) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर शहर में बिजली के तार नीचे होने से दुर्घटनाएं होने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

5. अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य की गिरफ्तारी पर विशेषाधिकार भंग की सूचना पर सदन में चर्चा कराने की मांग पर निम्नलिखित सदस्यों/मंत्रियों द्वारा विचार व्यक्त किए गए :-

(1) श्री रामलखन सिंह, सदस्य
(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री
(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य
(4) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री
(5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री
(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य
(7) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य
(8) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य
(9) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री
(10) श्री आरिफ अकील, सदस्य
(11) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य
(12) श्री रामनिवास रावत, सदस्य
(13) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य

"अध्यक्ष महोदय द्वारा पक्ष विपक्ष के माननीय सदस्यों एवं मंत्रियों के विचार सुनने के पश्चात् निम्नानुसार व्यवस्था दी गई :-

कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने नियमावली के नियम 164 के तहत् विशेषाधिकार भंग की सूचना कल दिनांक 21 फरवरी, 2012 को दोपहर में मेरे कार्यालय में दी है जो मेरे समक्ष विचाराधीन है। कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने स्वयं भी यह उल्लेख किया है कि सर्वश्री अनूप मिश्रा एवं तीन अन्य सदस्यगण द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के विरूद्ध भी विशेषाधिकार भंग की सूचना विगत सत्र में दी गई थी। दोनों सूचनाएं मेरे समक्ष विचाराधीन हैं और इस संबंध में उचित कार्रवाई की जायेगी।

जहां तक चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा उठाये गये मामले का प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य की गिरफ्तारी विधान सभा परिसर में नहीं हुई है, मुझे प्रदाय की गई जानकारी में उनकी गिरफ्तारी उज्जैन में हुई है। अत: उनके द्वारा उठाया गया प्रश्न बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। आप सभी को विदित है कि यह मामला न्याय निर्णयाधीन भी है। ऐसे मामलों पर चर्चा के लिए विधान सभा नियमावली के नियम 251 में निर्बन्ध है। 'संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार' में भी ऐसे मामले पर चर्चा का निषेध है।

अत: मैं इस मामले को यहीं समाप्त करता हूँ। कृपया कार्यवाही को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें।"

(कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए, व्यवधान के चलते कार्यवाही जारी रही)

6. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 1 सन् 2012) पटल पर रखा।

7. प्रश्नोत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नवम्बर-दिसम्बर, 2011 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों को पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

8. नियम 267-क के अधीन सूचनाओं तथा उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नवम्बर-दिसम्बर, 2011 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी सूचनाओं तथा उन के उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

9. महामहिम राष्ट्रपति /राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्रों में पारित 2 विधेयकों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं 18 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। अत: निम्नलिखित विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक –	अधिनियम क्रमांक
1.	*मध्यप्रदेश गौवंश तथा वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010)	अधिनियम क्रमांक 43 सन् 2011
2.	*मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2012

क्र.	महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक –	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2011 (क्रमांक 39 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 33 सन् 2011
2.	अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 47 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 34 सन् 2011
3.	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 37 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 35 सन् 2011
4.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2011 (क्रमांक 40 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 36 सन् 2011
5.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2011 (क्रमांक 41 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 37 सन् 2011
6.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-7) विधेयक, 2011 (क्रमांक 42 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 38 सन् 2011
7.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-8) विधेयक, 2011 (क्रमांक 43 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 39 सन् 2011
8.	मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) विधेयक, 2011(क्रमांक 46 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 40 सन् 2011
9.	मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011(क्रमांक 45 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 41 सन् 2011
10.	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 31 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011
11.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 30 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 44 सन् 2011
12.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 35 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2012
13.	मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और विक्रय का विनियमन विधेयक, 2011 (क्रमांक 33 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2012
14.	मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2012
15.	मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 44 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2012
16.	मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 32 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2012
17.	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 38 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2012
18.	मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 36 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2012

10. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड एवं दतिया में नील गायों द्वारा फसल नष्ट किये जाने तथा

(2) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की मंदसौर जिले में गलघोटू नामक बीमारी से पशुओं की मौत होने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण की सूचनाएं संबंधित सदस्यों के गर्भगृह में होने के कारण उनके द्वारा नहीं पढ़ी गईं।

11. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नामनिर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री ज्ञान सिंह
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्रीमती नीता पटैरिया
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(6) श्री रामलखन सिंह

मध्याह्न 12.22 बजे अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी, 2012 (फाल्गुन 4, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 22 फरवरी, 2012